



CCL

Fuelling Sustainable Growth

CENTRAL COALFIELDS LTD.

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम / कोल इंडिया लि. की एक अनुषंगी कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, राँची 834 001 (झारखण्ड)

CIN : U10200JH1956GOI000581

अधिकारी स्थापना विभाग / Executive Establishment Deptt

फोन : (0651) 2360695 / Extn. 5144, ईमेल : gmee.ccl@coalindia.in

वेबसाइट : www.centralcoalfields.in

No.E1860919/ सीसीएल/महाप्रबंधक(अधिस्था)/प्रोन्नति/ई5-ई6/ ई. एंड एम./25/ 4935-47 दिनांक: 04/04/2025

कार्यालय आदेश/ OFFICE ORDER

सीआईएल के कार्यालय आदेश संख्या-CIL/C-5A(CC)/Prom.E5-E6_E&M/2024/B-177 दिनांक-26.02.2025 द्वारा ई. एंड एम. संवर्ग के प्रबन्धक/ई5 ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति ₹ 90,000-2,40,000/- के वेतनमान में वरीय प्रबंधक (ई. एंड एम.)/ई6 ग्रेड में किया गया एवं उनके नाम के समक्ष उल्लेखित सीईएल की अनुषंगी कंपनी में स्थांतरण किया गया। एतद्वारा सीसीएल से उन्हे दिनांक 11.04.2025 से विरमित किया जाता है।

SL	EIS No.	Name	Place of Posting	Comp. on Promotion
01.	90269572	Anubhav Khare	ERP Cell, System Deptt., HQ	NCL

श्री अनुभव खरे अपने वर्तमान कार्यस्थल से विरमित होने पर **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनसीएल** को रिपोर्ट करेंगे।

पदोन्नति पर, उपरोक्त अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर होंगे। स्थानतरित कंपनी में उच्च पद पर प्रभार ग्रहण के उपरांत ही उपर्युक्त अधिकारी की पदोन्नति उस तारीख से प्रभावी होगी।

संबन्धित अधिकारियों को सीआईएल द्वारा आदेश जारी करने की तारीख से **साठ(60) दिनों** के भीतर प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करना है अन्यथा पदभार ग्रहण न करने पर प्रोन्नति आदेश रद्द किया जा सकता है।

कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिनों में PRIDE भरना संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

यह आदेश सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति से किया जाता है।

निधि खलवा
3/4/25
उप-प्रबंधक (क)- अधि. स्था.)

वितरण ई ऑफिस द्वारा :

01. निदेशक (तकनीकी/ संचालन)/ निदेशक (परियोजना एवं योजना)/ निदेशक (कार्मिक)/ निदेशक (वित्त)/, सीसीएल, रांची।
02. सीएमडी के तकनीकी सचिव, सीसीएल, रांची।
03. सीएमडी के तकनीकी सचिव, एनसीएल।
04. महाप्रबंधक(कार्मिक), सीआईएल, कोलकाता।
05. महाप्रबंधक(ई. एंड एम.)/ (सतर्कता) / (अधि. स्था.)/ (सामाजिक सुरक्षा)/ (प्रणाली)/ प्रशासन सीसीएल, रांची।
06. मुख्य प्रबंधक/ वरीय प्रबंधक (वित्त - ईपीआर)/ (स्था.), सीसीएल, रांची।
07. प्रबंधक (कार्मिक), सीएमडी सचिवालय, सीसीएल, रांची।
08. प्रबंधक/ उप-प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था.), सीसीएल, रांची - आवश्यक अद्यतनीकरण हेतु।
09. प्रबंधक (वित्त - सीएमपीएफ), सीसीएल, रांची।
10. सहायक. प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था./सीआर), सीसीएल, रांची - कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
11. संबंधित अधिकारी।
12. व्यक्तिगत फ़ाइल।